न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 07 / 2022

प्रार्थीगण

1 भवानी सिंह पुत्र सोहन सिंह
2 सज्जन सिंह पुत्र जोगराज सिंह
3 मनोहरसिंह पुत्र सोहनसिंह
4 नरपतसिंह पुत्र सोहनसिंह जातियान राजपूत निवासीगण नोखा चांदावता तहसील मेडता जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 सरपंच ग्राम पंचायत नोखा चांदावता।
2 ग्राम सेवक ग्राम पंचायत नोखा चांदावता।
3 दौलतसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी नोखा चांदावता तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री तपेन्द्र सांखला अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से
2 श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 24.09.2024

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नोखा चांदावता द्वारा पट्टा संख्या 2214 दिनांक 20.04.2017, से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.02.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 04.02.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 16.02.22 को न्यायालय मे उपस्थित रहा तथा उसके बाद अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 01 बावूजद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत नोखा चांदावता के पट्टा संख्या 2214 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत की पत्रावली की फोटोप्रति पेश की तथा अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अपने समर्थन में लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत नोखा चांदावता पंचायत समिति मेडता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नकल आवेदन की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के जवाब की फोटोप्रति, पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया। निगरानी अंतिम बहस में विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत किया, जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.02.2023 को पेश किया, प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। चूंकि अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के तथ्य तथा प्रार्थी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति का जवाब, उभयपक्ष की लिखित बहस के तथ्य के समान है, जिससे प्रारंभिक आपत्ति में दर्ज तथ्य को अंतिम बहस में निस्तारण किया जाना है व अंतिम बहस उभयपक्ष की मौजूदगी में सुनी जा चुकी है, जिससे अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आंपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2022 खारिज किया जाता है।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– याचिकाकर्ता उस भूमि के लिए जारी पटटे का चुनौती दे रहे हैं, विशेष रूप से उस खुली सडक के लिए और नियमों के तहत उसके लिए पट्टा जारी करना अनुमति योग्य नहीं है। यह पट्टा सडक के एक हिस्से (3 फीट) के लिए जारी किया गया था, जो एक सामुदायिक सुविधा का हिस्सा था और इस पट्टे के जारी होने में महत्वपूर्ण प्रक्रियागत उल्लंघन हुए है। याचिकाकर्ता चाहते है कि जारी किया गया पट्टा अवैध और शून्य घोषित किया जाए और पंचायत को पंचायती राज नियमों और प्रांसगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया जाए।

२५/५/२४

अपर कलक्टर, नागौर

2(2)–राजस्थान पंचायती राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार, पट्टा केवल पुराने घरों के नियमितीकरण के लिए जारी किया जा सकता है, न कि खुली भूमि के लिए। यहां नजूल भूमि के रूप में दर्ज खुले भमि के लिए पट्टा जारी किया गया, जो इस नियम का उल्लंघन है। नियम 146 के तहत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर तीन पंचों की एक समिति द्वारा साइट निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि संबंधित पट्टा के लिए कोई साइट निरीक्षण नहीं किया गया। यह एक स्पष्ट प्रक्रियागत त्रुटि है, जिससे पट्टा जारी करना अनियमित और अवैध हो जाता है। नियम 148 के अनुसार, आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस एक महीने के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए और एक प्रमुख स्थान पर लगाया जाना चाहिए। इस मामले में, केवल 7 दिनों का नोटिस जारी किया गया था, जिसे ठीक से नहीं लगाया गया और कम से कम दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया। यह अनुपालन की कमी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को कमजोर करती है। जिला कलक्टर, धारा 97 के तहत निर्णय लेते हुए, पट्टा जारी करने में किसी भी अनियमितता या अवैधता की समीक्षा और सुधार करने का अधिकार रखते हैं। दिए गए प्रक्रियागत उल्लंघनों और नियमों के गलत अनुप्रयोग के आधार पर, जिला कलक्टर पट्टे को शून्य करने के लिए बाध्य है।

2(3)– सुप्रीम कोर्ट ने Sesh Nath Singh vs Baidyabati Sheoraphuli Co Operative AIR 2021 SC 2637 के मामले में स्थापित किया है कि अदालतें पर्याप्त कारण के आधार पर विलंब की माफी कर सकती हैं, बिना औपचारिक आवेदन की आवश्यकता के याचिकाकर्ताओं ने लगातार कार्यवाही को जारी रखा और मामले का सावधानीपूर्वक पीछा किया, जो किसी भी विलंब को न्यायसंगत ठहराता है। Collector Land Acquisition vs Mst. Katiji, AIR 1987 SC 1353 के मामले में भारत सुप्रीम कोर्ट ने विलंब की माफी से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्वांत स्थापित किए। ये सिद्वांत अदालतों को कानूनी कार्यवाही में विलंब से संबंधित मुद्दों का निर्णय और व्याख्या करने मे मार्गदर्शन करते है। किसी भी वादी को देर से अपील दाखिल करने पर लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, यदि विलंब की माफी दी जाती है, तो मामले का निर्णय तभी किया जाना चाहिए जब दोनों पक्षों को अदालत के समक्ष अपना पक्ष करने का उचित अवसर दिया गया हो। अगर माफी नहीं दी जाती है, तो एक प्रासंगिक मामला तकनीकी आधार पर खारिज किया जा सकता है। अदालतों को विलंब के कारणों का विचार करते समय कडें या अति तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। विलंब की व्याख्या का आकलन तार्किक और व्यावहारिक रूप से किया जाना चाहिए। जब मौलिक न्याय और तकनीकी विचारों के बीच संतुलन बनाना हो, तो मौलिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि ईमानदारी से हुई गलती के कारण अन्याय हुआ हो, तो दूसरी पार्टी इसका फायदा नहीं उठा सकती। अदालतों को यह स्वतः मानकर नहीं चलना चाहिए कि विलंब जानबूझकर, दुराशय से, या गंभीर लापरवाही के कारण हुआ है। यह माना जाता है कि कोई भी वादी जानबूझकर अपनी चाचिका दाखिल करने में देरी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतें पर्याप्त कारण के आधार पर विलंब की माफी कर सकती है, बिना औपचारिक आवेदन की आवश्यकता के। यदि याचिकाकर्ता सतत् कारण और मामलें को आगे बढाने में परिश्रम दिखाते हैं, तो यह विलंब की माफी को न्यायसंगत ठहरा सकता है।

2(4)– राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में, गेवेर चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, पट्टे का पंजीयन प्रासंगिक है और यदि पट्टे मौजूदा नियमों के विपरीत जारी किया गया था, तो चुनौती को रोका नहीं जा सकता है। इस प्रकार, प्रश्न में पट्टा प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और शून्य किया जा सकता है।

2(5)– उत्तरदाताओं का दावा है कि पुनरीक्षण याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि अन्य पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए जरी किए गए थे। यह कानून के तहत अस्थिर है क्योंकि समानता के नकारात्मक अधिकार का कोई सिद्वांत नहीं हो सकता। जहां तक वर्तमान याचिका समानता के नकारात्मक अधिकार का कोई सिद्वांत नहीं हो सकता। जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, इसे पट्टा जारी करने के नियमों और कानूनों के अनुसार ही न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में इस सिद्वांत की पुष्टि की है कि बिना कानूनी आधार या न्यायसंगत कारण के दिए गए लाभ या लाभों को समानता या समानता के सिद्वांत के रूप में कायम नहीं किया जा सकता। State of Bihar & Ors. vs Kameshwar Prasad Singh & Anr., (2000) 9 SCC 94 अदालत ने यह कहा कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उपयोग अवैधता को बनाए रखने के लिए नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट किया गया कि दो गलततियां मिलकर सही नहीं बनतीं, और यदि किसी

२५|१|२५

अपर कलक्टर, नागौर

को गलती से कोई लाभ दिया गया है, तो यह आधार नहीं बन सता कि वहीं लाभ दूसरों को भी दिया जाए। Basawaraj & Anr. vs. Special Land Acquisition Officer, (2013), 14 SCC 81 इस मामलें में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि अवैध या अनुचित लाभ के मामलों में समानता का दावा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की जाती है, तो अन्य लोग समानता के आधार पर उसी अवैधता का दावा नहीं कर सकते। State of Uttar Pradesh v. Rajkumar Sharma, (2006) 3 SCC 330 सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यदि कुछ गलत किया गया है, तो उसे समानता या समता का आधार नहीं बनाया जा सकता। समानता का सिद्धांत त्रुटियों या अवैधताओं के प्रचार तक विस्तारित नहीं होता। Chandigarh Administration v. Jagjit Singh, (1995) 1 SCC 745 इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आदेश अवैध या अधिकार क्षेत्र के बाहर पाया जाता है तो उसे समानता के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता। समानता का सिद्धांत उन कार्यों या आदेशों पर लागू नहीं होता जो अवैध या अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

2(6)–उत्तरदाता का दावा है कि सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से पालन की गई, लेकिन यह साइट निरीक्षण की कमी और अनुचित नोटिस प्रक्रियाओं के सबूतों से खारिज हो जाता है। प्रक्रियागत त्रुटियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या सही ठहराया नहीं जा सकता। पट्टा जारी करने की नियमितता का दावा दर्ज उल्लंघनों द्वारा खंडित किया गया है। अनुपालन के सबूत देने में उत्तरदाताओं की विफलता याचिकाकर्ताओं के अनयिमितताओं के दावों को और मजबूत करती है।

2(7)–पट्टा नियम 157(1) का उल्लंघन करते हुए खुले भूमि के लिए जारी किया गया था, बिना आवश्यक साइट निरीक्षण के, और एक दोषपूर्ण नोटिस प्रक्रिया के साथ। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को शून्य और अवैध घोषित किया जाए। ग्राम पंचायत को 3 फीट चौडे और 200 फिट लंबे सडक के लिए सीसी ब्लॉक का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया जाए। न्याय और समानता के हित में कोई अन्य उचित राहत प्रदान की जाए।

3– अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि –

3(1)–प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त पुनरीक्षण याचिका पूर्णतया झूठे निरर्थक एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किए जाने योग्य है।

3(2)–प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रकरण में जिन बिन्दुओ को लेकर बहस की जा रही है। उन बिन्दुओं के संबंध में अपनी याचिका कोई उल्लेख नहीं है व न ही ऐसा कोई बिन्दू पत्रावली पर आया है।

3(3)–पुनरीक्षण याचिका हेतु जहा तक समयावधि का प्रश्न है इस सम्बंध में परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टिकल 13 के प्रावधान लागू होते है। उक्त आर्टिकल के अनुसार समयावधि 3 वर्ष हैं हस्तगत प्रकरण में उक्त निगरानी 3 वर्ष की समयावधि के पश्चात सवा 4 वर्ष बाद पेश की गयी है जो प्रथम दृष्टया मियाद बाहर है।

3(4)–बकौल प्रार्थीगण के वर्ष 2017 में उन्हें पट्टे के बारे में जानकारी हो चुकी थी, जैसा कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी–4 दिनांक 09.10.2017 से उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को वर्ष 2017 मे उक्त पटटे की जानकारी होने के करीबन सवा चार वर्ष पश्चात उक्त पट्टे को चुनौती दी गई है, जो प्रथमदृष्टया मयाद बाहर है इस प्रकार से उक्त पुनरीक्षण याचिका मयाद बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया इस आधार पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

3(5)–उक्त प्रकरण में उक्त पुनरीक्षण याचिका प्रथमतः प्रथमदृष्टया मयाद बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। दौयम अगर मयाद के बिन्दु को कंडोन भी किया जावे, तो भी इस सबंध में किसी भी प्रकार का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। सौयम ऐसे आवेदन पत्र के अभाव में मयाद का बिन्दु भी कंडोन नहीं किया जा सकता। इस तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उक्त पुनरीक्षण याचिका प्रथमदृष्टया खारिज किए जाने योग्य है।

3(6)–उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी पुनरीक्षण याचिका के बारे में ऐसा कोई आधार कथन नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त पट्टा एवं प्रस्ताव कैसे व किस आधार पर गलत, अनुचित एवं अवैध है। प्रार्थीगण की ओर से पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है, उक्त याचिका में ब्रिफ फेक्ट्स ऑफ दी केस का उल्लेख करते हुए सीधा ही प्रेयर की मांगी की गई है एवं पुनरीक्षण याचिका के क्या आधार व आपत्तियां हैं, जिससे उक्त पट्टा गलत, अनुचित एवं अवैध साबित होता हो, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त पुनरीक्षण याचिका में प्रार्थीगण के पास उक्त पट्टे एवं प्रस्ताव को गलत, अनुचित एवं अवैध बताने का कोई आधार न तो था व न है।

२५/५/२५

अपर कलक्टर, नागौर

3(7)–उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के किन प्रावधानों की अवहेलना हुई है, के बारे में पुनरीक्षण याचिका में कोई कथन अंकित नहीं हैं, वरतुतः राजस्थान पचांयतीराज नियम 1996 के किसी भी प्रावधानों की कोई अवहलेना नहीं हुई है, इसलिए प्रार्थीगण के पास इस बारे में बोलने का कोई स्थान ही नहीं है। इस आधार पर उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

3(8)–उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यक्ष संख्या 3 के पंजीबद्व हो रखे पट्टा को चुनौती दी है। प्रत्यर्थी संख्या 3 का पट्टा कार्यालय उपपंजीयक मेडतासिटी के यहां पुस्तक संख्या 1 जि.स. 851 पृ.स. 186 के क्र.स. 201703097104215 पर दिनांक 12.09.2017 को पंजीबद्व हो रखा है। विधि अनुसार जो दस्तावेज पंजीबद्व हो जाता हैं, तो ऐसे दस्तावेजों को केवल मात्र विनिर्दिष्टतः अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्राधिकारी द्वारा ऐसे पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता, चूंकि हस्तगत प्रकरण में भी उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन हो चुका है, इसलिए ऐसे पंजीबद्व पट्टा विलेख के संबंध में कोई कार्यवाही प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में करने के अधिकारी नहीं है। इस आधार पर उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

3(9)–प्रार्थीगण को इस प्रकार से कोई पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपने आपको ग्रामवासी नोखा चांदावता का होना बताकर केवल मात्र ग्राम नोखा चांदावता के सार्वजनिक हितार्थ उक्त पुनरीक्षण याचिका करना बताते हैं, जबकि प्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 तीनों सगे भाई हैं, तथा प्रार्थी संख्या 2 इनके परिवार में भाई भतीजा है। इस प्रकार से ये चारों प्रार्थीगण एक–दूसरे से से परिवारजन होने के कारण इनका उद्देश्य कोई सार्वजनिक हितार्थ नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत वैमनस्यता से उक्त पुनरीक्षण याचिक प्रस्तुत की है।

3(10)–वर्तमान सरपंच नोखा चांदावता श्री शिवराम सिंह हैं, जो इन प्रार्थीगण के परिवार मे भाई भतीजा है, उक्त शिवराम सिंह ने प्रत्यर्थी संख्या 3 की पट्टा पत्रावलियों के साथ भी छेडखानी की है, जो पूर्णरूपेण जांच का विषय है। शिवराम सिंह प्रार्थीगण का परिवार में भाई भतीजा होने के कारण से अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए येन–केन–प्रकारेण प्रार्थीगण को नाजायज फायदा पहुंचाने पर तुला हुआ है।

3(11)–प्रार्थीगण जिस इकरारनामा वर्ष 1974 की बात कर रहे हैं, प्रथमतः उक्त इकरारनामा पर प्रत्यर्थी संख्या 3 या उनके किसी भी पूर्वज के हस्ताक्षर या अगुठा नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त इकरारनामा मुझ प्रत्यर्थी के विरूद्व नहीं पढा जा सकता, दौयम उक्त इकरारनामा को देखें तो उक्त इकरारनामा विधि की नजरों में इकरारनामा की परिभाषा में नहीं आता है, उक्त इकरारनामा न तो स्टाम्प पर है, न ही रजिस्टर्ड है, न ही नोटेरी से प्रमाणित है, न ही कोई साखें है एवं न ही इकरारनामें से संबंधित अन्य किसी प्रक्रिया एवं विधि की पालना की हुई है। सौयम, उक्त इकरारनामा ड्यूली स्टाम्पड एवं ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण से साक्ष्य में ग्रह्य भी नहीं है, उक्त कथित पौसिदा तौर पर कूटरचित दस्तावेज है। इस आधार पर उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

3(12)–प्रार्थीगण जो 15 फीट का रास्ता बताते हैं, ऐसा कोई रास्ता न तो मौके पर था, व न है तथा न ही ऐसे किसी रास्ते का कोई अस्तित्व था व है।

3(13)–उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण ने जो अनुतोष मांगा है, ऐसा अनुतोष किसी भी पुनरीक्षण याचिका में नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर उक्त याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

3(14)–उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण सज्जनसिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पट्टा पत्रावलियों की नकलें मांगी थी, यहां पर यह कथन करना प्रासंगिक रहेगा कि सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नकल केवल मात्र ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम विकास अधिकारी, पदेन सचिव द्वारा ही जारी की जा सकती है, अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी नहीं की जा सकती है, जबकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत नोखा चांदावता का सरपंच श्री शिवराम सिंह जो प्रार्थीगण का भाई भतीजा है, उक्त सरपंच प्रार्थीगण को खुलमखुला अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मदद कर रहा है। इसी के परिणामस्वरूप सरपंच जिसे कोई नकल जारी करने का अधिकार नहीं था, फिर भी अपने अधिकार से बाहर जाकर, पद का दुरूपयोग करते हुए एवं अवैध रूप से नकलें जारी की हैं, जिस नकलों के साथ भी रेकर्ड के साथ छेडखानी करते हुए गलत रूप से नकलें जारी की है।

3(15)–प्रार्थीगण जिस 15 फीट चौडे रास्ते की बात कर रहे हैं, ऐसा रास्ता कभी भी मौके पर नहीं रहा है, जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण के पट्टासुदा जमीन के पास उत्तरी तरफ आए अन्य मकानात व जायगा के पट्टों से बखूबी साबित होती है, ऐसा पट्टों में कहीं पर ही इस रास्ते का उल्लेख नहीं है।

14/5/24

अपर कलेक्टर, नागौर

3(16)–अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश है–सी.सी.सी. 2012(2) पेज नम्बर 01 (एस.सी.), आर.आर.डी. 2011 पेज नम्बर 228 (राज.), आर.बी.जे. 2011 पेज नम्बर 352(राज.), आर.बी.जे. 2012 पेज नम्बर 686(राज.), आर.बी.जे. 2010 पेज नम्बर 289(राज.), आर.बी.जे. 2010 पेज नम्बर 628 (एस. सी.), आर.आर.डी. 2009 पेज नम्बर 150(राज.), आर.आर.डी. 2009 पेज नम्बर 661(राज.), आर.आर.डी. 2008 पेज नम्बर 817(राज.), डी.एन.जे. 2003(3) पेज नम्बर 1266(राज.), आर.आर.डी. 2002 पेज नम्बर 26(राज.), आर.आर.डी. 2001 पेज नम्बर 35(राज.), डी.एन.जे. 2012(2) पेज नम्बर 602 (राज.), डी.एन.जे. 2008(2) पेज नम्बर 735(राज.)।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नोखा चांदावता द्वारा पट्टा संख्या 2214 दिनांक 20.04.2017 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार पट्टा पुराने घरों के नियमितीकरण के लिए जारी किया जा सकता है। परन्तु उक्त पट्टा खुली भूमि पर नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है, जो कि विधि विरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत शपथ पत्र में भी उक्त जायगा को बाडा के रूप में होने का कथन किया है। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली पर ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146 के अनुसार उक्त पट्टा बनाते समय ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति करनी होती है परन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त नियम की पालना नहीं की है। वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमो की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नोखा चांदावता द्वारा जारी पट्टा संख्या 2214 दिनांक 20.04.2017, को निरस्त किया जाता है।

7– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर) 15/5/24

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर